IS 4246:2025
Domestic Gas Stove and Built in Hob for Use with LPG — Specification (Sixth Revision)

The specification of domestic gas stoves and built-in hobs for use with LPG is a vital element of appliance standardization, ensuring safety, durability, and reliable performance for household use. First introduced in 1967, this standard has undergone multiple revisions, with the present sixth revision (IS 4246:2025) reflecting technological developments, user requirements, and alignment with updated statutory provisions under the BIS Act, 2016.

The revision broadens the scope to cover metallic or plastic frames with glass tops, incorporates provisions for built-in hobs, modifies requirements for Bati stands, and introduces improvements in pan support design, gas inlet connections, and thermal efficiency testing. It also prescribes detailed safety and performance tests, including flame stability, resistance to draught, thermal shock, fire hazard, combustion quality, and efficiency measurements. Specific requirements for materials, rigidity, maintenance, and workmanship are also included to ensure long-term reliability.

The standard emphasizes clear marking, including burner ratings, gas consumption, country of origin, and thermal efficiency declarations. Provisions for BIS certification and safe packaging further strengthen consumer protection. By harmonizing with international practices such as EN 30-1-1, the specification enhances compatibility and credibility of Indian products, promoting uniform quality, consumer trust, and improved safety across the domestic LPG appliance sector.

IS 4246:2025
द्रवित पेट्रोलियम गैस के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस चूल्हे और निर्मित हॉब्स — विशिष्टि (छठा पनरीक्षण)

एलपीजी के साथ उपयोग के लिए घरेलू गैस स्टोव और बिल्ट-इन हॉब्स का विनिर्देशन उपकरण मानकीकरण का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो घरेलू उपयोग के लिए सुरक्षा, स्थायित्व और विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। 1967 में पहली बार प्रस्तुत किए गए इस मानक में कई संशोधन हुए हैं, और वर्तमान छठा संशोधन (आईएस 4246:2025) तकनीकी विकास, उपयोगकर्ता आवश्यकताओं और बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत अद्यतन वैधानिक प्रावधानों के साथ संरेखण को दर्शाता है।

यह संशोधन का दायरा बढ़ाकर काँच के शीर्ष वाले धातु या प्लास्टिक के फ्रेम को भी शामिल करता है, बिल्ट-इन हॉब्स के लिए प्रावधान शामिल करता है, बाटी स्टैंड की आवश्यकताओं को संशोधित करता है, और पैन सपोर्ट डिज़ाइन, गैस इनलेट कनेक्शन और तापीय दक्षता परीक्षण में सुधार प्रस्तुत करता है। इसमें ज्वाला स्थिरता, ड्राफ्ट प्रतिरोध, तापीय आघात, अग्नि जोखिम, दहन गुणवत्ता और दक्षता माप सहित विस्तृत सुरक्षा और प्रदर्शन परीक्षण भी निर्धारित किए गए हैं। दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सामग्री, कठोरता, रखरखाव और कारीगरी की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया है।

यह मानक स्पष्ट अंकन पर ज़ोर देता है, जिसमें बर्नर रेटिंग, गैस खपत, उत्पत्ति देश और तापीय दक्षता घोषणाएँ शामिल हैं। बीआईएस प्रमाणन और सुरक्षित पैकेजिंग के प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण को और मज़बूत बनाते हैं। EN 30-1-1 जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करके, यह विनिर्देश भारतीय उत्पादों की अनुकूलता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है, जिससे घरेलू एलपीजी उपकरण क्षेत्र में एकरूप गुणवत्ता, उपभोक्ता विश्वास और बेहतर सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है।